बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–01/बजट–यो०–38/2025– 07642 /पटना, दिनांक– 12 अगस्त, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

सेवा में,

ईख पदाधिकारी,
गोपालगंज।

विषय : **माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–42 दिनांक–13.01.2025 के आलोक में ईख मूल्य की दर में 10 रू०/क्विंटल की दर में वृद्धि की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अन्तर्गत कुल मो० 23,96,181.00 (तेईस लाख छियानवे हजार एक सौ इक्कासी) रूपये मात्र का आंवटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–527 स्वी०/सी.सी. दिनांक–12.12.2025 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024–25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध अन्तर्गत 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. आवंटनादेश संख्या–18 बजट दिनांक–05.02.2026 द्वारा ईख पदाधिकारी, गोपालगंज को आवंटित राशि की निकासी अपरिहार्य कारणवश नहीं हो सकी। पेराई सत्र 2025–26 के लिए सभी चीनी मिलों द्वारा पेराई का कार्य सम्पन्न कर दिया गया है। विभागीय पत्रांक– 662/ई०का० दिनांक–02.02.2026 द्वारा ईख पदाधिकारी, गोपालगंज से पेराई सत्र 2025–26 के लिए 10 रू०/क्विंटल की दर से अतिरिक्त ईख मूल्य भुगतान हेतु आवंटन की आवश्यकता से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी।

ईख पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि मो० 3,00,05,000.00 रूपये अन्तर्गत मो० 2,76,08,819.00 (दो करोड़ छिहत्तर लाख आठ हजार आठ सौ उन्नीस) रूपये मात्र के आवंटन किया गया था। शेष राशि मो० 23,96,181.00 (तेईस लाख छियानवे हजार एक सौ इक्कासी) रूपये मात्र का आंवटन किया जा रहा है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गोपालगंज के द्वारा आवंटित राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज से कर सकेंगे। वित्त विभाग द्वारा 33 प्रतिशत राशि व्यय के बंधेज के कारण ईख पदाधिकारी, गोपालगंज को वांछित स्वीकृत राशि में से मो० 23,96,181.00 रूपये कम आवटित किया गया था।

3. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल आवंटित राशि मो० 23,96,181.00 (तेईस लाख छियानवे हजार एक सौ इक्कासी) रूपये मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष– 201–चीनी मांग संख्या–45 उप शीर्ष–0103 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45–2852082010103 से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–314 / वि० दिनांक–01.04.2026 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

5. स्वीकृत्यादेश संख्या–527 स्वी० / सी.सी. दिनांक–12.12.2025 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–38 स्वी० / सी०सी० दिनांक–17.04.2026 में निहित शर्तो / निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय जिसकी पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्रित पदाधिकारी होंगे।

6. उक्त योजना अन्तर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–38 / 2025– 07942 पटना, दिनांक– 12 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–38 / 2025– 07942 पटना, दिनांक– 12 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि–महालेखाकर, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय / सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर / विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग / सभी ईख पदाधिकारी / सभी विशेष ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01 / बजट–यो०–38 / 2025– 07942 पटना, दिनांक– 12 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।